Machinery for Protecting interests of Inter-State Migrant Workers

2795. SHRI RAVINDRA VERMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have set up any machinery to protect the interests of inter-State migrant workers; and

(b) if so, the steps that have been taken since May, 1980 to protect such migrant workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) and (b). The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 will be enforced immediately after the Rules are finalised. In the Central sphere, the Central Industrial Relations Machinery will administer and implement this Act.

Absorbtion of coal and ash handling workers

2796. SHRI BASUDEB ACHARIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken to absorb all workers engaged in coal and ash handling; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No.

(b) Since the receipt of coal traffic in locosheds is not uniform on all days, the work of coal handling, cinder picking, ash-pit cleaning in locosheds is generally done by private contractors or Labour Contract Cooperative Societies. Also, the pattern of traction is undergoing rapid changes and the gauge conversion is in progress, with the result the points of transhipment/ the location of steam sheds and the coal and ash handling requirements will be shifting and finally the steam traction would be replaced by electric/ diesel traction. Accordingly, the employment of departmental labour on such work has not been found suitable.

Central Railway Cashiers

2797. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Railway Cashiers are required to halt at night at various stations where strong rooms are not provided nor are they offered with full-fledged rest house facilities either; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). No. Rest rooms have been constructed at big stations. At some important way-side stations, standard size strong rooms have been provided with all amenities like folding Counter-cum-bed table, chair and water tap and similar arrangements are being made at a few other important way-side stations. It has not been found feasible to provide lavatory in strong rooms as it would be unhygeinic to do so. The staff can make use of the bath and lavatories available at the stations.

समस्तीपुर-दरभंगा लाइन

2798. श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में समस्तीपुर से दरभंगा तक एक बड़ी लाइन बिछाने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) दरभंगा-जयनगर लाइन के आमान परिवर्तन से संबंधित सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने पर अन्य तारीख निश्चित की जायेगी ।

मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट (लिमिटेड) बम्बई द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि की राशि का जमा कराया जाना

2799. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा कराई गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि की राशि क्या है ; और

(ख) उन पर इसकी कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) (क) और (ख). मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई से (मैसर्स गोदरेज एंड वायर्स मैन्यूफैचरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई नाम का कोई प्रतिष्ठान नही है) देय राशियों की वसूली संबंधी स्थिति, जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित किया गया है, इस प्रकार है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कम्पनी की दो यूनिटे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन आती है । एक यूनिट लाल बाग और दूसरी यूनिट घाटकोपुर मे है । अप्रेल, 1977 से मार्च, 1980 की अवधि के सबध मे कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियो के लिए 1,15,29,169.30 रुपये जमा कराए गए है और हाल ही मे पता लगाए गए कम भुगतान के संबंध मे 9,674 रुपये की राशि बकाया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मैसर्स गोदरेज एण्ड बायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-79 एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है । पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि के लिए प्रतिष्ठान के भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड को 5,23,05,433.57 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है और कोई भी राशि बकाया नही है ।

तुमसर-तिरोडी लाइन

2800. **श्री केशवराव पारधी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुमसर-तिरोदी लाइन को कटंगी तक बढाने के लिए लम्बे अर्से से मांग की गई है और इस कार्य के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर काम कब से शुरू होगा और इस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) यदि काम शुरू नही किया जाना है, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). बालाघाट से कटंगी शाखा लाइन सहित गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन से संबंधित अनुमान तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट संकलित की जा रही है तथा शीघ्र ही मिल जायेगी । सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करते समय प्रस्तावित बड़ी लाइन की कटंगी से तिरोडी तक बढाने के प्रश्न पर उचित विचार किया जायेगा ।

Taxes on Tourist buses

2801. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tamil Nadu Government has levied taxes on tourist buses; and

(b) if so, whether the Central Government approved that measure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). The levying of taxes in respect of motor vehicles is within the competence of the State Governments. According to the information available, the Govt. of Tamil Nadu is said to have withdrawn the tax exemption that was earlier available to the vehicles, entering that State and operating under special permits under Section 63(6) of the Motor Vehicles Act, 1939.

Cargo Berth for Paradip Port

2802. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether more cargo berths have been sanctioned for Paradip Port; and

(b) if so, how many?